संजय सिंह–I, एच0जे0एस0
सदस्य सचिव

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

जिला जज/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
संभल।

पत्रांकः 1436 /एसएलएसए–99/2019 (ऋ/हैदर) दिनांकः अप्रैल 26 ,2024

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आपके जनपद में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की स्थापना हेतु, आपके द्वारा आवेदकगण के साक्षात्कार के उपरान्त, साक्षात्कार समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साक्षात्कार समिति की अनुशंसा को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश दिनांकित 08.04.2024 के माध्यम से विभिन्न पदों पर आबद्ध किये जाने हेतु निम्न अभ्यर्थियों के नाम अनुमोदित किये गये हैं:–

चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल

क्र0सं0	चयनित नाम	क्र0सं0	प्रतीक्षा सूची
1	Shri Sanjeev Kumar Singh S/O Shri Rampal Singh	1	Shri Tekchand Yadav S/O Shri Satya Ram Singh
		2	Chandra Pal Singh S/O Shri Madan Lal

डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल

क्र0सं0	चयनित नाम	क्र0सं0	प्रतीक्षा सूची
1	Shri Ankit Tondon S/O Shri Kuldeep N Tondon	1	Shri Chandra Pal Singh S/O Shri Madan Lal
		2	Mrs. Ranjana Sharma W/O Shri Sanjay Sharma

असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल

क्र0सं0	चयनित नाम	क्र0सं0	प्रतीक्षा सूची
1	Shri Mayank Goel S/O Late Chandra Prakash Goel	1	Shri Shivam S/O Shri Ram Singh
		2	Shri Vikas Sagar S/O Shri Ram Kishan

2	Shri Sandeep Kumar S/O Shri Ram Charan Singh	3	Shri Ravi Kumar S/O Shri Parmanand Kushwah
		4	Shri Updesh S/O Shri Chandra Sen

इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों हेतु आप निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें:-

1. समस्त आबद्ध होने वाले आवेदक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा **"Offer of contractual engagement on monthly retainership basis under modified Legal Aid Defense Counsel (LADC) Scheme, 2022"** (संलग्नक -1) की शर्तों के अधीन संविदा निष्पादित करेंगे।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन आदेश दिनांकित 24.01.2024 के अनुसार आपके जनपद को "सी" श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुये, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को निम्नवत् **monthly retainership fee / honorarium** प्रदान किया जायेगा।

पद नाम	मानदेय
चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	रू0 50,000/-
डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	रू0 40,000/-
असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	रू0 30,000/-

3. माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी को आबद्धता पत्र (letter of engagement) प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा और यदि आबद्धता पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थना समाप्त करते हुये उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में (वरिष्ठता के आधार पर) चयनित सदस्य को कार्यभार ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र / अन्डरटेकिंग देनी होगी कि उनके द्वारा किसी अन्य विभाग अथवा पैनल में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं किया जायेगा तथा वह किसी अन्य मामले में बतौर अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं करेगा। चयनित आवेदक द्वारा मात्र वही कार्य किया जायेगा, जो उन्हें लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम द्वारा प्रदान किया जायेगा।

5. लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम हेतु अभ्यर्थी सदस्य यदि कोई विधि व्यवसाय कर रहे हैं तो वह नियुक्ति की तिथि से अपना विधि व्यवसाय नहीं करेंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र / अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा अपना विधि व्यवसाय बन्द कर दिया गया है।

6. चयनित अभ्यर्थी जिस किसी भी पैनल अथवा विभाग में अधिवक्ता के रूप में नामित हैं, वहां से उन्हें तत्काल त्यागपत्र देना होगा तथा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करना होगा, अर्थात लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल में कार्यभाग ग्रहण करने के पूर्व ही चयनित आवेदक को अपने सारे पूर्व पदीय दायित्वों से त्याग पत्र देना होगा।

7. उक्त आवेदक इस आशय का भी शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक वाद न्यायालय में/थाने में नियुक्ति की तिथि तक पंजीकृत नहीं है एवं न ही किसी भी अपराध हेतु किसी भी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष करते हुये उन्हें दंडित किया गया है।

8. उक्त समस्त लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के चयनित अभ्यर्थी को **monthly retainership** (प्रतिधारण शुल्क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान से दिया जायेगा, यदि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त होने में विलम्ब होता है तो किसी भी सदस्य का इस आशय का प्रार्थना पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा कि उसे प्रतिधारण शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है अथवा उन्हें बकाया प्रतिधारण शुल्क प्रदान किया जाये।

9. उक्त समस्त लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अभ्यर्थियों को प्रतिधारण शुल्क का भुगतान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा अनुदान प्राप्त न होने की दशा में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. उपरोक्त पद पूर्ण रूप से अस्थायी प्रकृति के हैं तथा इनको कभी भी, बिना किसी नोटिस के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अथवा माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समाप्त किया जा सकता है अथवा उक्त आबद्ध अभ्यर्थी को बिना किसी पूर्व नोटिस के पदमुक्त किया जा सकता है।

11. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार उक्त अभ्यर्थियों का कार्यकाल सामान्य रूप से एक वर्ष हेतु होगा, परन्तु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशित करने पर अथवा योजना को बन्द करने की दशा में अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस हेतु अनुदान बन्द कर दिये जाने की स्थिति में उक्त आबद्ध अभ्यर्थियों का कार्यकाल पूर्व में भी समाप्त किया जा सकता है।

12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की गाइड लाइन्स के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 6 माह पर उक्त आबद्ध अभ्यर्थियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा तथा कार्य को संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के संचालन हेतु आबद्ध चीफ/असिस्टेन्ट/डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के आबद्धता पत्र, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उपरोक्त निर्धारित शर्तों एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य **contractual engagement** के अनुरूप ही निर्गत करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त।

(संजय सिंह–I)
सदस्य सचिव